संख्या 610/132/विविध/2023-24-एन.पी.सी.एस.

भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)
भारत सरकार

नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद कराने हेतु प्रकाशकों/स्वामियों के लिए परामर्शी
(2024 की संख्या 7)

विषयः- नियतकालिक पत्रिका का प्रकाशन बंद करने की सूचना के लिए प्रपत्र

प्रेस तथा नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम, 2023 की धारा 10(1) के अनुसार पत्रिका का स्वामी इस अधिनियम के तहत पंजीकृत पत्रिका का प्रकाशन बंद कर सकता है और प्रकाशन बंद करने के छह माह के भीतर प्रेस महापंजीयक तथा निर्दिष्ट प्राधिकरण जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ऐसी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, को प्रकाशन बंद करने के बारे में सूचित किया जाएगा और प्रेस महापंजीयक धारा 10(2) के अनुसार प्रकाशन से सूचना प्राप्त होने पर उप-धारा (1) के तहत बंद हुई पत्रिका का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करते हैं तथा धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत अनुरक्षित रजिस्टर से पत्रिका के साथ इसके शीर्षक को हटा देते हैं।

2. **प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।** इसी समय, प्रकाशन बंद करने के लिए प्रकाशकों/स्वामियों को असुविधा से बचाने और उनकी सुविधा हेतु **पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद करने के लिए प्रपत्र** का सृजन किया गया है और इसे संलग्न किया गया है। प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से सेवा उपलब्ध होने तक, प्रकाशकों/स्वामियों को सलाह दी जाती है कि वे पी.आर.जी.आई. रिकॉर्ड में अपने पंजीकरण को निरस्त करने के लिए डाक द्वारा या ईमेल द्वारा इस प्रपत्र को मूल रूप में/नोटरीकृत/सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विगत वर्षों के लिए वार्षिक विवरण दाखिल नहीं करने के संबंध में पत्रिका पर कोई जुर्माना देय ना हो।

इसे प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रजित चन्द्रन एम.आर.)
उप प्रेस पंजीयक

पत्रिका का प्रकाशन बंद करने की सूचना हेतु प्रपत्र
(स्वामी/प्रकाशक/शीर्षक के स्वामी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा मूल रूप में प्रस्तुत किया जाए)

1. **पत्रिका का नाम :**
2. **पंजीकरण संख्या :**
3. **आवधिकता तथा भाषा :**
4. **डाक के पूरे पते के साथ प्रकाशन का स्थान :**
5. **स्वामी का नाम :**
6. **प्रकाशन बंद करने की तिथि :**
7. **प्रकाशन बंद करने हेतु कारण :**

मैं, यह सत्यापित करता हूं कि प्रदान की गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सटीक है। मैं ऊपर उल्लेखित पत्रिका को आपके रिकॉर्ड से निरस्त करने का अनुरोध करता हूं। मैं यह समझता हूं कि उपर्युक्त शीर्षक निरस्त हो जाएगा और भारत के प्रेस महापंजीयक द्वारा अन्य आवेदकों के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध हो जाएगा।

स्वामी/अधकृत व्यक्ति का नाम तथा हस्ताक्षर
संपर्क संख्या (मोबाइल)/लैंड लाइन :
ईमेल आई.डी.:

दिनांकः
स्थानः
सेवा में,

(1). भारत के प्रेस महापंजीयक, 9वां तल, सूचना भवन, नई दिल्लीः 03

(2). निर्दिष्ट प्राधिकारी (नाम और पता) जिनके अधिकार-क्षेत्र में पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा था।

नोटः-

(1) आवेदन प्रस्तुत करने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि निरस्त किए जाने वाले शीर्षक के विरूद्ध कोई जुर्माना लंबित नहीं है।

(2) पंजीयन का मूल प्रमाण पत्र वापिस लौटाया जाए। प्रमाण पत्र के गुम होने के मामले में, कृपया गुम होने संबंधी मूल शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

(3) स्वामी द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा रही सूचना के मामले में अधिकृत पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।